खण्ड-2 समावेशी शिक्षा का नियोजन एवं प्रबंधन

इकाई-1 बाधा रहित विद्यालय का निर्माण

अनुक्रमाणिका

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ट संख्या
2.1	परिचय	1
2.2	उद्देश्य	1 - 2
2.3	समावेशी विद्यालय में बाधाएं	2 - 9
	2.3.1 भावभंगिमा	2 - 4
	2.3.2 सामाजिक बाधाएं	4 - 6
	2.3.3 शारीरिक बाधाएं	6 - 7
	2.3.4 शैक्षिक बाधाएं	7 - 9
2.4	समावेशी विद्यालय की अधोसंरचना सम्बन्धी सुविधायें	9 – 10
2.5	एक आदर्श समावेशी विद्यालय	11 - 15
	2.5.1 एक आदर्श समावेशी स्कूल की विशेषताएं	11 - 13
2.6	समावेशी कक्षा-कक्ष का प्रबंधन	13
	2.6.1 कक्षा-कक्ष प्रबंधन का अर्थ	13
	2.6.2 कक्षा-कक्ष प्रबंधन की परिभाषा	13
	2.6.3 कक्षा-कक्ष प्रबन्धन का प्रत्यय	13 -14
	2.6.4 कक्षा-कक्ष प्रबंधन के अधिनियम	14 - 15
2.7	संसाधन कक्ष का प्रबंधन	15 - 18
2.8	समावेशी विद्यालय में पाठय सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु नियोजन एवं प्रबंधन	18 -
	2.8.1 पाठय सहगामी (पाठयान्तर) क्रियाओं का अर्थ	19 - 20
	2.8.2 पाठायान्तर क्रियाओं का महत्वः	20
	2.8.3 पाठायान्तर क्रियाओं के मुख्य लाभ	20 - 21
	2.8.4 पाठायान्तर क्रियाओं का वर्गीकरण	21 – 23
2.9	स्मरणीय तथ्य	23
2.10	प्रगति की जाँच	23 – 24
2.11	क्रिया कलाप	24
2.12	चर्चा के बिन्दु	24
2.13	अन्य पठनीय सामग्री	25

Scanned with CamScanner

2.1 परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित, क्षति-युक्त, अपंग और अन्य असमर्थी बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिये। केवल गंभीर रूप से क्षति-ग्रस्त बाधित या अपंगों के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिया जायें। कोठारी आयोग ने समन्वित शिक्षा की सिफारिश की हैं। इन विशिष्ट बालकों की शिक्षा को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप विशेष शिक्षा का विकास हुआ। इस विकास के चलते, विशेष शिक्षा, पृथक्कीकरण में समावेशी शिक्षा की ओर अग्रसर हुई।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत अपंग, बाधित और असमर्थी बालकों के वहीं अधिकार हैं जो अन्य सामान्य बालकों के हैं और सामान्य बालकों के समान ही समाज में प्रगति करने का अधिकार है। जीवन के उनके कार्य क्षेत्रों में पहुँचाने के समान अवसर हैं जो अन्य नागरिकों के है और वे समाज में राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने के बराबर के भागीदार हैं। अतः इस ईकाई के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि शिक्षक-प्रशिक्षक ये जानें कि समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को वे कैसे दूर करें तथा एक आदर्श समावेशी विद्यालय का निर्माण कैसें करें ?

2.2 उद्देश्य

(1) इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् विद्यार्थी ये जान सकेंगे· कि समावेशित शिक्षा पर आधारित एक आदर्श स्कूल कैसा होना चाहिए ?

(2) इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षक-प्रशिक्षक ये भी जान सकेंगें कि समावेशी शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालयों में संसाधन कक्ष कैसा होना चाहिये?

(3) शिक्षक-प्रशिक्षक, इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् कक्षा-कक्ष प्रबंधन के बारे में यह भी जान सकेंगे कि कक्षा प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को कैसे संगठित किया जा सकता है?

Scanned with CamScanner

(4) इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षक प्रशिक्षक ये भी समझने में सक्षम हो सकेंगे कि समावेशी शिक्षा में कौन-कौन सी बाधाएं आती है ? इस पर आधारित भाव भंगिमा, सामाजिक और शैक्षिक बाधाओं पर समाधान प्राप्त कर सकेंगें।

(5) जैसा कि पूर्व विदित है कि पाठय सहगामी क्रियाँए छात्रों के जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। खास तौर पर दिव्यांग बालकों के लिए पाठय सहगामी क्रियाँए कैसी होनी चाहिए, ये भी जान सकेंगे।

2.3 समावेशी विद्यालय में बाधाएं

समावेशी विद्यालय में निम्नलिखित बाधाएं आती हैं-

2.3.1 प्रवृत्ति (भावभंगिमा) की दृष्टि से तिरस्कृत होना

प्रवृत्ति अथवा भावभंगिमा से तात्पर्य किसी प्राणी का किसी काम, विषय या बात की ओर अथवा किसी विशिष्ट दिशा में प्रवृत्त होने या बढ़ने की क्रिया या भाव को कहते हैं । मनुष्य के व्यक्तित्व का वह वह मनोवैज्ञानिक द्रष्टिकोण है जो इस बात का सूचक होता है कि वह अपने उद्देश्यों या कार्यों की सिद्धि के लिए किस प्रकार या किस रूप में सचेष्ट रहता है। अथवा मन की वह स्थिति जिसमें वह किसी ऐसे काम या बात की ओर अग्रसर होता है जो उसे प्रिय तथा रुचिकर होती है।

विशिष्ट एवं अपंग बालकों को भावभंगिमा (हाव-भाव) की दृष्टि से तिरस्कृत समझा जाता है। यहां तक कि बालक के माता-पिता (अभिभावक) ऐसे बालक के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं । अक्सर ऐसा देखने में आता है कि माता-पिता यहाँ तक कह देते हैं कि यह बालक हमारे से किस जन्म का बदला लेने के लिये पैदा हुआ। यह तो हमारे लिये सारी उम्र का बोझ है। हाव-भाव की दृष्टि से अक्षम बालको को बेइज्जत किया जाता है और इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे बालकों का जन्म उन्हें दुखदायी महसूस होता है। ऐसे बालक उम्रभर उनको कष्ट देगा। कुछ माता-पिता अपने अपंग बालक को पसन्द ही नहीं करते और समय-समय पर उनकी निन्दा और अपमान करते हैं जिसका सीधा प्रभाव बालक पर नकारात्मक दृष्टि से बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है और बालक में हीनता की भावना दिन प्रतिदिन

Scanned with CamScanner

बढ़ने लगती है जब किसी एक बालक में किसी प्रकार का अंग विकार आ जाता है तो भी माता पिता अन्य बच्चों की अपेक्षा उस बालक का तिरस्कार करते हैं। जब माता-पिता और अपंग बालक में व्यक्तित्व रूप से भिन्नता दिखाई देती है तो भी माता-पिता उस बालक से तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं।

अक्सर यह भी देखा जाता है कि बहुत से माता-पिता अपने सामान्य बालक और अपंग बालक के प्रति भेद-भाव भी दिखाते हैं । माता-पिता के ऐसे व्यवहार को देखते हुए अपंग बालके के भाई-बहन भी उसको तिरस्कृत करते हैं।

प्रारंभ की अवस्था में तो इन विकलांग बालकों के साथ र्दुव्यवहार किया जाता या और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता था। ऐसे बालकों को अभिशाप माना जाता था और माता-पिता भी ऐसे बालकों को बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते थे। इनके बारे में यह धारणा बनी हुई थी कि विकलांग पूरी तरह से बेकार हैं, वे स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ है, या ऐसे जीव हैं जो दया का पात्र हैं और जब तक वे जीवित हैं तब तक उनकी देख भाल करनी पडेगी । इस प्रकार की विचार धारा के चलते इनकी शिक्षा, प्रषिक्षण, आजीविका कमाने योग्य बनाने और इनके पुनर्वास के लिये किसी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किये गये। कालान्तर में उनकी शिक्षा के प्रयास किये गये परन्तु विकलांग बालको को सामान्य बालकों से पूर्ण रूप से भिन्न माना गया। इस अलगाववादी दृष्टिकोण के कारण यह विचार पनपा कि विशिष्ट बालक सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं है अर्थात आयोग्य हैं। यही कारण है कि फिर बाद में ऐसे बालकों की शिक्षा के लिये अलग से विशेश संस्थाऐं खोली गई। इतना होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता ओर उनको सामान्य बालकों की तरह परिवार से समाज से और सामान्य स्कूलों से प्यार, दुलार और सम्मान नहीं मिलता है।

प्रवृत्ति (भावभंगिमा) बाधाएं को दूर करने संबंधी सुझाव

ऐसे बालकों को तिरस्कृत न करके बल्कि ऐसे कारगर कदम उठाये जाने चाहियें जिससे माता-पिता अपने बालकों को वस्तुनिष्ठ रूप से स्वीकार करने लगें। ये कारगर कदम निम्न हैं-

Scanned with CamScanner

- ✓ अपंग या विकलांग बालको को इस बात से पूर्ण रूप से अवगत करा देना चाहिये कि उनकी ही समस्या दुर्लभ नहीं है बल्कि अन्य माता-पिता की भी इस प्रकार समस्या है।
- ✓ शिक्षक जिनका स्वस्थ दृष्टिकोण हैं वे अभिभावकों को जीवन के प्रजातान्त्रिक विचार स्पष्ट करके उनको अपने बालको की और उन्मुख कर सकते हैं।
- ✓ अनेक माता-पिता जीवन की समस्याओं के प्रति धार्मिक विचार रखते हैं। उन्हें यह बताना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का बालक है। इस लिये प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह उसका सम्मान करे और उसके विकास के लिये प्रयास रत रहें।
- ✓ यदि माता-पिता अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो उनकों अपंग बालको के अवगुणों की ओर ध्यान न देकर गुणों की ओर ध्यान देना चाहिये।
- ✓ बहुत से माता-पिता जो कि अपने अपंग या प्रतिभावन बालक से परेशान रहते हैं उन्हें शिक्षक की सलाह ले लेनी चाहिये। इस सलाह के आधार पर अभिभावक बालकों के प्रशिक्षण की सही दिषा निर्धारित करने में सफल होगे।

अगर उपर लिखित सुझावों को ध्यान में रखते हुए माता-पिता सकारात्मक सोच का विकास करते हुए उन बालक के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित हाव-भाव अर्थात भाव-भंगिमा या फिर नकारात्मक शारीरिक भाषा में सुधार करने में सफल होते हैं तो ऐसे बालको के समावेशी स्कूल में प्रवेश पाने में अवश्य ही इस बाधा को कम किया जा सकता है।

2.3.2 सामाजिक बाधाएं

समावेशी शिक्षा में दूसरी बाधा है सामाजिक वातावरण जो विशिष्ट बालकों के लिये अनुकुल न होकर प्रतिकूल होती है। समाज के अधिकांश लोग ऐसे बालकों के प्रति दया और सहानूभूति के भाव तो अवश्य प्रकट करते हैं लेकिन जब इन बालको के साथ सहयोग करने का प्रश्न उठता है तो वे शिष्टाचार ढंग से पीछे हट जाने का प्रयास करते है आज भी समाज के लोगों का दृष्टिकोण इन बालको के प्रति नकारात्मक है। वे आज भी अपंग (क्षतिग्रस्त) बालकों को हीन भावना से देखते है।

Scanned with CamScanner

इन बालको को दया का पात्र दानयोग्य, सहानूभूति इच्छुक और हंसी मजाक का पात्र बना लिया जाता है। कुछ लोग मजबूरियों के कारण सब कुछ सहन कर लेंगे। लेकिन उनका ऐसा सोचना गलत है क्योंकि समाज के तिरस्कृत करने से इन बालकों में और अधिक हीन भावना जागृत होतो है और जिससे समाज के तिरस्कृत करने से इन बालकों में और अधिक हीन भावना जागृत हो क्षतिग्रस्तता के कारण और समाज की अवहेलना के कारण सामाजिक क्रिया-कलापों और गतिविधियों से दूर रहना पड़ता है जिससे उनके समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा आती है।

भारतीय समाज दो भागों में विभाजित है। 1. बन्द समाज और 2. खुला समाज । भारतीय समाज में बन्द समाज के लोगों की संख्या अधिकांश रूप से हैं और खुले समाज के लोगों की संख्या बन्द समाज के लोगों के अनुपात में बहुत कम हैं । बन्द समाज के लोग अधिकतर गावों में निवास करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है बन्द समाज के लोग अन्धविश्वासी, रूढ़िवादी और संकीर्ण विचार रखते है और वे अपने रीति रिवाजों, पारम्पारिक परिपाटियों को त्यागने का कदापि भी प्रयास नहीं करते। भौतिक परिवर्तन करना नहीं करते चाहे वे विचार या मूल्य आज के युग में प्रासांगिक न भी हो। इस समाज के लोग अपने बालकों को समावेषित को प्राथमिक शिक्षा के पूरा किये बिना स्कूल से हटा लेते हैं तो उनसे यह आषा कैसे रखी भेज देंगी। इन बन्द समाज के लोगों की विचार धारा के चलते आज भी हम 6 वर्ष से 14 लोग उदार विचारों से ही वंचित नहीं है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर हैं। इन्हीं कारणों से आज भी हम अपव्यय और अवरोधन की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाये हैं। इन लोगों में आज भी लड़के और लड़की के बीच भेद-भाव की भावना घर किये हुए है। इस प्रकार के समाज के लोगों से यह आषा नहीं की जा सकती कि समावेशी स्कूल में अपने बालकों को भेजने में सक्रिय रूप से योगदान देंगे।

खुले समाज से संबंध रखने वाले लोगों से कुछ अंशो तक समावेशी स्कूल की शिक्षा में सफलता मिल सकती है लेकिन पर्याप्त रूप से अभी संभव नहीं है। शहर के सरकारी स्कूलों में तो सरकार सक्रिय रूप से समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दे सकती है लेकिन गैर-सरकारी स्कूलों को समावेशी स्कूल में परिवर्तन

Scanned with CamScanner

करना असंभव तो नहीं परन्तु कठिन बहुत हैं। शहरों में सामान्य स्कूलों में समावेशी व्यवस्थाएं देकर विरोध करेंगे। उनका यह तर्क होगा कि हमारे सामान्य बालकों की सुचारू रूप से होने वाली शिक्षण प्रक्रिया में कमी आयेगी। उनकी इस धारणा के चलते वे अपने सामान्य बालकों को स्कूल से हटा लेंगे और किसी अन्य स्कूल में अपने बालकों का प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे जहां समावेशन नहीं है। वैसे निजी स्कूल भी इस समावेशी स्कूल पद्धति का खुलकर विरोध न करें परन्तु अपंग बालको को स्वीकार करने में पूर्ण रूप से आना कानी अवश्य ही करेंगे। इस प्रकार से देंखें तो समावेशी शिक्षा को सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

सामाजिक बाधाओं को दूर करने के उपाय

इन बाधाओं को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता लेकिन इनको कम अवश्य किया जा सकता है।

इसके लिये हमें सर्वप्रथम सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्कता है।

अपंग (विकलांग) बालकों के प्रति समाज के लोगों का जो दृष्टिकोण बना हुआ है उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है। समाज के लोगों ने इन बालकों के प्रति अस्वस्थ और नकारात्मक दृष्टिकोण बना रखा है। समाज के लोगों ने इन बालकों के प्रति उनको यह बताना होगा कि उनका ऐसा सोचना बालक के अहित में ही नहीं है बल्कि ऐसी सोच समाज और राष्ट्र विरोधी है। वास्तविकता और सकारात्मक सोच यह हैं कि इन बालकों को दया या सहानूभूति की आवश्कता न होकर बल्कि सक्रिय सहयोग और प्रेरणा की आवश्यकता है। समाज को चाहिये कि ऐसे बालकों के लिये इस प्रकार के प्रयास करें जिससे ऐसे बालक देश (राष्ट्र) की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस लिये लोगों के दृष्टिकोण में परितर्वन लाना आवश्यक है।

2.3.3 शारीरिक बाधाएं

समावेशित षिक्षा व्यवस्था में, वैसे दिव्यांग बालकों को पढने सम्बंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन षिक्षा प्राप्त करने में कुछ शारीरिक बाधाएं आती है। जोकि दिव्यांग बालकों को विद्यालय जाने से वंचित करती है। जैसे शारीरिक रूप से दिव्यांग बालको के लिये कक्षा में बैठने की सीट व्यवस्था ठीक से

Scanned with CamScanner

नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के बालक अपने बस्ते का बोझ उठाने में असमर्थ होते है और समावेषित विद्यालय में ट्राली का अभाव होता है। ये व्यवस्था भी विद्यालय जाने में बाधा उत्पन्न करती है। शौचालयों में सहायक रॉड के न लगे हाने से बालक शौच कार्य स्वयं संपादित नहीं कर पाते है। इसके अतिरिक्त सकल गामक क्रियाएं तथा सूक्ष्म गामक क्रियाएं से बाधित बालक भी कक्षा में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। यदि बालक के ऊंगलियों मे कुछ समस्या है। तो कक्षा में लिखने से वंचित रह जाते है।

शारीरिक बाधा संबंधि उपाय -

समावेशित विद्यालय में शारीरिक रूप से बाधित सभी विद्यार्थी कक्षा में सुचारू रूप से उपस्थित रह सके इसके लिये निम्न लिखत उपाय उपलब्ध करवाये जाते है -

1. विद्यालय में सेम्प की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में व्हील चेयर उपलब्ध करवानी चाहिये।
3. बस्ते के बोझ को कम करने के लिये ट्रॉली उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।
4. शौचालयों में सहायक रॉड की व्यवस्था होनी चाहिये।
5. समय-समय पर सकल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं करवाते रहना चाहिये जिससे वे बच्चों की ऊंगलियां लिखने कार्य में सक्रिय रहे।

2.3.4 **शैक्षिक बाधाएं**

समावेशी स्कूल में सामाजिक बाधाओं के साथ-साथ अनेक प्रकार की शैक्षिक बाधाएं भी हैं।

अधिकांश रूप से समाज में ऐसे बालकों के अभिभावक अनपढ़ होते है और वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते और वे समावेशी स्कूल में अपने बालको को भेजने के लिये तैयार नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वहां पर प्राईमरी स्कूल ही नहीं हैं जो बालकों को सामान्य शिक्षा प्रदान कर सकें। गांव में तो बहुत से स्कूल अपूर्ण हैं क्योंकि कक्षा चार पास कर लेने के बाद आगे पढ़ने के लिये किसी प्रकार का

Scanned with CamScanner

कोई प्रावधान नहीं होता। ऐसी स्थिति में तो क्षतिग्रस्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान करने हेतु विशेश रूप से शिक्षित शिक्षको की आवश्कता होती है। सोचने की बात यह है कि जब सामान्य कक्षा को पढ़ने के लिये शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो इन बालकों की शिक्षा का विशेश प्रबंध कैसे हो सकता है? इन बधित (क्षतिग्रस्त) बालकों की तो वैसे भी विशेश शैक्षिक आवश्कतायें होती हैं जिनकी पूर्ति असंभव हैं।

स्कूलों में घटिया वातावरण हैं जिसके चलते शैक्षिक कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता। स्कूलों में साज-समान पर्याप्त रूप से नहीं होता । स्कूल भवन आकर्षक नहीं होते । उदासीन अप्रशिक्षित शिक्षक होते है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक होती है। शिक्षक और अभिभावाकों के सौहार्द्धपूर्ण संबंध भी नहीं होते हैं।

ऐसे बालकों की विशेश आवश्यताओं की बात न भी करे तो स्कूलों में मूल भूत आवश्यताओं की भी पूर्ति नहीं होती है। अगर हम यह भी मानकर चले कि ऐसे विद्यार्थियों के स्कूल सीमित होंगे और उन समावेशी स्कूलों में प्रबन्ध ठीक ठाक होता तो फिर भी जो बालक क्षत ग्रस्त हैं कि वे किन साधनों से स्कूल जायेंगे और फिर स्कूल से वापस आयेंगे।

स्कूलों में शिक्षा पाठयक्रम दोषपूर्ण है। इसमें निम्न दोष पाये जाते हैं-

1. यह व्यवहारिक रूप से लाभ प्रद नहीं है।
2. यह शिशु केन्द्रित नहीं है।
3. यह सक्रियता केन्द्रित नहीं है।
4. यह जीवन केन्द्रित नहीं है।
5. यह अरोचक है।
6. यह हमारे देश की सांस्कृतिक विचारधारा से मेल नहीं खाता।

शैक्षिक बाधाओं को दूर करने के उपाय

परीक्षा-प्रणाली भी दोषपूर्ण है। रटने पर जोर दिया जाता है। बालकों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा देते हैं जिनकों रट कर बालक पास तो अवश्य हो जाते हैं लेकिन जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसके साथ-साथ स्कूलों में सहायक

Scanned with CamScanner

सेवाओं की कमी और विशिष्ट बालकों पर विशेश रूप से काम आने वाले उपकरणों की भी बहुत कमी है। मंदबुद्धि बालकों पर विशेश रूप से ध्यान का न देना।

इन अक्षम बालकों को शिक्षक द्वारा पूरी तरह स्वीकार न किया जाना ही इनकी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। सामान्य बालक जब शिक्षक के इस व्यवहार को देखते हैं तो वे भी क्षतिग्रस्त बालकों को किसी प्रकार सहयोग नहीं देते। अत: इस कमी को दूर करना भी जरुरी है ।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षको की बहुत कमी है जो समावेशी स्कूल के लिये अपर्याप्त है। इन बालको के लिये व्यक्तिगत शिक्षा योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता की समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक कार्य बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हमें समावेशी शिक्षा के प्रति अथक प्रयास करते रहना चाहिये और यथा संभव सहयोग भी देना चाहिये जिससे कि देर सवेर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

2.4 समावेशी विद्यालय की अधोसंरचना सम्बन्धी सुविधायें

प्रायः यह देखा गया है कि कुछ दिव्यांग बालकों का रोग और उनकी अक्षमता ज्यादा गंभीर नहीं होती है अतः वे सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम होते हैं अतः ऐसे दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में समायोजन स्थापित कर सकें अतः ऐसी स्थिति में समावेशी स्कूल की अधोसंरचना इस प्रकार होना चाहिए-

1) समावेशी स्कूल में उपचार कक्ष (Physical Therapy Room) का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि दिव्यांग विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार उसका प्रयोग कर सकें। इसका निर्माण विकलांगता के आधार पर होना चाहिए।

2) बालकों की शारीरिक अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यायामशाला की कक्ष व्यवस्था हो तथा साथ ही साथ मनोरंजन कक्ष की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

3) एक कार्यशाला कक्ष की व्यवस्था हो। जिसने जिसमें अक्षम और रोगी बालकों की आवश्यकतानुसार उपकरण बनाएं जाते हों जैसे विशेष प्रकार के शूज और गेलिस आदि।

Scanned with CamScanner

4) इस स्कूल में एक विश्राम कक्ष भी अवश्य बना हुआ होना चाहिए। इस विश्राम कक्ष में फर्नीचर, बालकों की अक्षमताओं और आवश्कताओं के अनुकूल होना चाहिए।

5) पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार हों जिसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ दिव्यांग विद्यार्थी भी कक्ष का सही प्रयोग कर सकें। जैसे प्रकाश भी व्यवस्था का ध्यान रखते हुए पुस्तकालय कक्ष का निर्माण किया जाना चाहिए।

6) ऐसे कक्ष की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें विशेष शिक्षक आपस में बैठकर चर्चा कर सकें। और उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकें।

7) समावेशी स्कूल में रैम्प की व्यवस्था भी जानी चाहिए जिससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त बहुमंजिल विद्यालयों में लिफ्ट की व्यवस्था भी जानी चाहिए जिससे शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी, विद्यालय में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक आसानी से जा सकें।

8) समावेशी स्कूल का भवन भी इन बालकों की विशिष्ट आवश्कताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। यदि भवन पहले से बना हुआ होता तो उसमें आवश्कतानुकुल परिवर्तन कर लेना चाहिये। जो बालक लकवे से पीड़ित हो उन्हें नीचे की कक्षा में ही रखना चाहिए। कमरों के दरवाजों का आकर बड़ा होना चाहिए जिससे पहियादार कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। ऐसे भवन में मंजिलों के बनाने की आवश्कता नहीं होती।

9) इस स्कूल में आवासीय सुविधा के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था होनी चाहिए छात्रावास भी बालकों की अक्षमताओं बीमारी और आवश्कता जो को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिये।

10) इन स्कूलों के शिक्षण कक्ष दिव्यांग बालकों की आवश्कता के अनुसार ही हों। चॉक, बोर्ड की लम्बाई-चौड़ाई, उँचाई, कुर्सी, मेज व अन्य फर्नीचर भी उनकी सुविधा के अनुकुल हो।

11) समावेशी विद्यालय में एक काउंसलिंग कक्ष की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जहां दिव्यांग विद्यार्थियों की काउसलिंग की जा सकें।

Scanned with CamScanner

2.5 एक आदर्श समावेशी विद्यालय

एक आदर्श समावेशी विद्यालय में प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ दिव्यांग बालकों का रोग और उनकी अक्षमता इतनी गंभीर और अधिक होती है कि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की दृष्टि से लाभान्वित नहीं हो सकते। अतः ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था की जाती है। यदि ये विचार हम अपने मस्तिष्क में लाए कि क्या इस व्यवस्था से दिव्यांग बालकों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है शायद ये कदापि संभव नहीं है। अतः ऐसे बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना ही जरूरी है। इसलिए ये विचारणीय प्रश्न है कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस तथ्य पर विचार करने हेतु समावेशी शिक्षा का ध्यान हमारे सामने आता है यदि समावेशी शिक्षा को हद्रय से अपनाया जाए तो वास्तव में वह दिन दूर नहीं कि दिव्यांग बालक मुख्यधारा में न हो । और इसके लिए ये परम आवश्यक है कि एक आदर्श समावेशी स्कूल की स्थापना हो। ऐसे स्कूल की स्थापना के लिए हमें कुछ बातों को इस तंत्र में सम्मिलित करना होगा।

2.5.1 **एक आदर्श समावेशी स्कूल की विशेषताएं-**

एक आदर्शसमावेशी स्कूल की विशेषताएं निम्नलिखित सारणी मे वर्णित हैं-

क्रमांक	विशेशता	वर्णन
1	स्कूल वातावरण	समस्त स्कूल स्टाफ सभी विद्यिार्थियों की जिम्मेदारी समान रूप से लेंगें। जैसे समय सीमा, सह-शिक्षण इत्यादि में अध्यापक पूर्ण सहयोग करेंगें।

Scanned with CamScanner

	पाठयक्रम निर्देशऔर मूल्यांकन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कक्षा से जो निर्देश ग्रहण करेगें उनका पालन भी करेंगे। और स्कूल में आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बराबरी से सहभागिता निभाएंगें।स्कूल के सभी विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिला मूल्यांकन में आवश्यक अथवा स्वीकृत संशोधन के साथ भाग लेना चाहिए और उनके दवारा प्राप्त आकड़ों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जोकि बाद में योजनात्मक संबंध निर्णय लेने में उपयोगी सिद्ध होंगे । सभी स्टाफ के सदस्य स्कूल के विकास हेतु स्कूल की योजनाओं को बनाएगें। टीम के सदस्यों द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार सहायता मिल रही है या नहीं।
3	स्टाफ का विकास	विशेष आवश्यकता बाले बच्चों के विकास के लिए एक आदर्शस्कूल दवारा व्यवसायिक रूप से स्टाफ को कुशल बनाया जाएगा जिससे ऐसे बच्चों का पूर्ण विकास हो सकें।
	सहयोगी सेवाएं	सभी सहयोगी व सक्षम सदस्य स्कूल समुदाय के मुख्य सदस्य होंगें।
	अभिभावक सहभागिता	स्कूल की ये जिम्मेदारी होगी कि वे सभी अभिभावकों को मुख्य रूप से जो दिव्यांग बालकों के अभिभावक है उनको सभी गतिविधियों में शामिल करेगा।
	सामुदायिक सहभागिता	स्कूल के स्टाफ को विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के अभिभावकगण से बातचीत करने के लिए बहुउद्देशीय उपागमों को प्रयोग में लाना चाहिए।
	संसाधन	सभी संसाधन पूरे विद्यालय में मौजूद होंगे न कि केवल कक्षा-कक्ष में।स्कूल कर्मचारी एक दूसरे के लिए संसाधनों के रूप में सेवा देने के लिए तत्पर रहें।
	विद्यालय का स्वमूल्यांकन	स्कूल प्रबंधन स्वयं इस ओर उन्मुख रहेगा कि स्कूली वातावरण में सभी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं।

Scanned with CamScanner

	वृहदशिक्षा योजना	स्कूल योजना से संबंधित दस्तावेज और प्रक्रियायें उपर्युक्त सूचीबद्ध क्षेत्रों के सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

2.6 समावेशी कक्षा-कक्ष का प्रबंधन

2.6.1 कक्षा-कक्ष प्रबंधन का अर्थ

प्रबंधन को ऐसी संगठनात्मक क्रिया के रूप में समझा जाता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य किये जाते है जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न मूल्यों जैसे मानवीय सम्मान, वैयक्तिक एकता, स्वः अनुदेशन तथा समूह समीपता का समावेश होता है।

कक्षा प्रबंधन को प्रत्यय की दृष्टि से देखने पर यह एक प्रबंधन की संगठनात्मक क्रिया का अर्थ बताती है जिसमें हम कक्षा प्रबंधन से सम्बंधित आधुनिक, वर्तमान, सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्बलन, प्रबन्धनीय-विश्लेषण तथा अन्य सहायक-प्रबन्धन-सामग्री का अध्ययन करते हैं। प्रबंधन का एक विस्तृत एवं व्यवहारिक सिद्धान्त अनुदेशन के स्वरूप को भी सुनिश्चित करता है।

2.6.2 कक्षा-कक्ष प्रबंधन की परिभाषा

कक्षा प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को संगठित किया जाता है। कला प्रबंधन को क्रिया प्रवृत्ति के आधार पर परिभाषित किया गया है।

कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों और अन्तः संबंधों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया सम्पादित होती है तथा कला में कार्य तथा क्रियाकलाप से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है।

2.6.3 कक्षा-कक्ष प्रबन्धन का प्रत्यय

आयामों के माध्यम से अध्यापक को ऐसे निर्देशन तथा ठोस परामर्श की जानकारी होती है जिनके माध्यम से अध्यापक अपने विद्यार्थियों में रूचिपूर्ण अधिगम के प्रति रूचि उत्पन्न करके अधिगम को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं और विद्यार्थियों का सामाजिक विकास कर सकते हैं। प्रायः अध्यापकों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें क्या आधार मिलना है कि कक्षा शिक्षण में सुधार हेतु कक्षा के व्यवहार

Scanned with CamScanner

को वर्णित करने हेतु कार्यक्रम परम्परागत रूप से अध्यापक को विशिष्ट व्यवहार को प्रशिक्षण नहीं देते हैं। यह विश्वास है कि यदि अध्यापक कक्षा प्रबंधन के कार्यों तथा क्रिया-कलापों तथा कक्षा शिक्षण में सहायक होता है तो अध्यापक विशिष्ट कौशल में दक्ष होना चाहिये।

कक्षा प्रबंधन मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ है इसमें अध्यापक की क्रियाएं जैसे अनुशासन, नियंत्रण, आज्ञा देना, अभिप्रेरणा तथा अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित होती है। यह अधिगम वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका पर केन्द्रित कर देता है। अध्यापक की कक्षा प्रबन्धन की प्रणाली विशेष कर के प्रविधियो जिन्हें अध्यापक कक्षा में उत्पादक तथा स्वतंत्र क्रिया-कलापों को करवाने हेतु प्रयुक्त करता है कक्षा प्रबंधन के मुख्य निर्धारक घटक है। यह प्रत्यक्ष तथा असम्बद्ध अनुशासन नियंत्रण भिन्न है। प्रबंधन की समस्यायें जब उत्पन्न होती है तब उन्हें समाप्त करने अथवा रोकने मे सहायक होता है।

2.6.4 कक्षा-कक्ष प्रबंधन के अधिनियम

कक्षा प्रबंधन की जटिल प्रक्रिया को साधारण रूप से अथवा सरलता से नहीं समझा जा सकता हैं। कक्षा प्रबंधन हेतु कुछ सामान्य सिद्धान्त हैं जिनका कक्षा प्रबंधन हेतु व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। इनका अभ्यास किया जा सकता है तथा परिस्थिति अनुसार इन्हें कला प्रबन्धन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। यद्यपि वह पूर्ण नहीं है फिर भी वह कक्षा प्रबन्धन की समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा अध्यापक को विशिष्ट ध्यान हेतु अध्यापक के लिये सहायक होते हैं।

1. कक्षा प्रबंधन के सामान्य अधिनियम: शिक्षा प्रबंधन के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

अ. जब विद्यार्थी कक्षा के नियमों को समझ ले तथा इन्हें स्वीकार कर ले तो वह उनका अनुसरण करें।

ब. कक्षा प्रबंधन में इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिये कि उसमें नियंत्रण पर ही बल न दिया जाये बल्कि इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाये कि विद्यार्थियों का अधिक से अधिक समय उत्पादक क्रिया-कलापों में व्यतीत हो।

स. विद्यार्थियों में न केवल बाहय नियंत्रण का विकास अपितु उनमे आन्तरिक नियंत्रण का विकास करना भी अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिये।

Scanned with CamScanner

द. यदि विद्यार्थियों को उनकी रूचियों तथा योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्यों में लगाया जाये तो उनको कम अनुशासन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट अधिनियम: शिक्षा प्रबंधन के विशिष्ट अधिनियम निम्नलिखित हैं-

अ. यदि नियम आवश्यक हो तो स्पष्ट नियम बनाये जायें।

ब. विलम्ब तथा अवरोध कम से कम हो।

स. व्यवस्थित पाठ तथा स्वतंत्र क्रिया-कलापों का नियोजन।

द. विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व महसूस करने दें।

क. प्रयत्नों को प्रोत्साहन दें तथा

ख. संकेत पुनर्बलन तथा उपयुक्त व्यवहार का प्रयोग।

नियम प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं होते फिर भी इस तथ्य का ध्यान रखना कि तात्कालिक परिस्थिति में कैसे और कम अनुदेशन दिये जाये और विद्यार्थियों के अच्छे व्यवहार का वर्णन करना तथा उन्हें अच्छे व्यवहार हेतु पुरूस्कृत करना जिससे उन्हें ज्ञात हो कि उन्हें क्या करना चाहिये अथवा कैसा व्यवहार करना चाहिए और वह अच्छे व्यवहार करने हेतु प्रेरित हों।

इन सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त अध्यापक का व्यवहार भी कक्षा में अच्छे वातावरण की उत्पत्ति तथा समय तथा प्रयत्नों के अधिकाधिक सदुपयोग में सहायक होता है।

2.7 संसाधन कक्ष का प्रबंधन

संसाधन कक्ष के सन्दर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिये-

1. शारीरिक वातावरण की व्यवस्था
2. अनुदेशनीय वातावरण का संगठन
3. शैक्षिक तकनीक का प्रयोग तथा
4. समय तथा अन्य शिक्षण संसाधनों का प्रबन्ध।

1. शारीरिक वातावरण की व्यवस्था

शारीरिक वातावरण की व्यवस्था के लिए विभिन्न सुझाव निम्नलिखित हैं-

Scanned with CamScanner

अ. फर्श एवं डेस्क पर पड़ी वस्तुओं को तथा अन्य उपकरण तथा निर्माण संबंधी बाधाओं को हटाकर, सुरक्षित तथा बाधा रहित वातावरण की सुनिश्चितता ।

ब. तापमान, प्रकाश, ध्वनि, स्तर, वायु तथा आकर्षक साज-सज्जा के माध्यम से कार्य परिस्थिति को सुखद बनाना।

स. ऐसा फर्नीचर तथा विशेश फर्नीचर का प्रयोग करें जो कि आरामदायक, स्थायी, व्यवहारिक तथा क्रियात्मक हो।

द. एकीकरण कार्य करने तथा अन्य क्रियाकलापों को करने के लिए स्थान की व्यवस्था।

क. बैठने की व्यवस्था करते समय शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि उन विद्यार्थियों पर सामाजिक अन्तः साधनों का प्रभाव पड़ता है।

2. अनुदेशात्मक वातावरण का संगठन

कक्षा के अनुदेशनीय वातावरण के अन्तर्गत विद्यार्थियों सामग्री तथा कार्य को सम्मिलित किया जाता है, अध्यापक पाठ्यक्रम को संगठित करता है, विद्यार्थियों का समूह तैयार करता है, निपुणता तथा सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण तथा अभ्यास हेतु पहुँचता है, इस प्रारूप का प्रभाव विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा शैक्षिक कार्यों पर पड़ता है। इसके मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं।

अ. पाठयक्रम निपुणता तथा सूचनाओं को अनुक्रम में संगठित करना, निपुणताऔ तथा सूचनाओं को विशयों तथा रूचिपूर्ण क्रियाकलापों के अनुसार व्यवस्थित करना।

ब. अनुदेशन हेतु विद्यार्थियों को उनकी बाधिताओं को प्रकारों आधार पर समूह बनाना तथा समय-समय पर इसमे परिवर्तन करना।

स. पर्यवेक्षण अभ्यास हेतु व्यवस्था करना एवं विद्यार्थियों को स्वः अनुदेशा-नात्मक सामग्री प्रदान करना इसके अन्तर्गत स्वः संषोधनात्मक सामग्री कार्यक्रम अनुदेशन तथा मधस्थ सामग्री सम्मिलित की जाती है।

Scanned with CamScanner

द. व्यवस्थित अभिलेख प्रक्रिया का प्रयोग बाधित बालकों की योग्यतानुसार तथा उनके अनुरूप हाने चाहिए।

3. शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग

वर्तमान शैक्षिक तकनीकी के अन्तर्गत व्यवस्थित अनुदेशानात्मक प्रविधियाँ, व्यवहार परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया उपकरण में उच्च तकनीक प्रेस तथा अधिगम संसाधनों प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। विद्युत प्रविधियों जैसे टेलीविजन, रेडियों आडियो और वीडियो टेप, तथा कम्प्यूटर ने शिक्षा की गुणवता, उपयोगिता तथा सार्थक के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है।

4. समय तथा अन्य संसाधनों का प्रबंधन

शिक्षक समस्त अधिगम वातावरण का प्रबंधक होता है वह आवश्यक अधिगम संसाधनों के आवंटन, तथा प्रयोग को पर्यवेक्षण करता है।

(अ) अनुदेशन समय और अवधि,

(ब) अधिगम सामग्री तथा

(स) अनुदेशनात्मक कार्यकर्ता

(अ) अनुदेशन समय और अवधि-प्रतिदिन के नियमित कार्यक्रम को समय के आधार पर बाँटना तथा विद्यार्थियों को बतलाता है कि किस समय कौन से क्रियाकलाप होंगे कार्यक्रम से संबंधित कुछ सुझाव निम्नलिखित है।

1. निश्चित कार्यक्रम से लचीले परिवर्तनशील कार्यक्रम की ओर।
2. आरंभ से छोटे व सरल गृह कार्य देना चाहिए तथा बाद में बड़ें व कठिन गृह कार्य दिये जाये।
3. अधिक पसन्द किये जाने वाले क्रियाकलापों को पहले करना तथा कम पसन्द किये जाने वाले क्रियाकलापों को बाद में करना।
4. अवकाश के समय हेतु योजना बनानी चाहिए।
5. ऐसे निश्चित कार्य जो एक दिने में पूरे हो सकें।
6. विभिन्न क्रियाकलापों का निर्माण।
7. नियमित कार्यक्रम बतलाना तथा उसका अनुसरण करना।

Scanned with CamScanner

(ब) अधिगम सामग्री:सामग्री का चुनाव करने समय इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिये कि वे कब तक सुचारू रूप से कार्य करेंगें उसका मूल्य क्या है ? उसे कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं ? वह स्वस्थ हैं उन्हें सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके उनकी प्रस्तुती अनुक्रम, व्यय, उपयोगिता तथा स्थायीपन का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

(स) अनुदेशानात्मक कार्यकर्ता- यदि अध्यापक को ऐसा प्रतीत हो कि उन्हें इन सब को स्वयं संचालित करने में कठिनाई हो रही है तो साथियों की सहायता ले सकते हैं और अनुदेशन में सुधार कर सकता हैं।

2.8 समावेशी विद्यालय में पाठय सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु नियोजन एवं प्रबंधन

एक कहावत है कि जब कोई किसी कार्य को करने के लिये तत्परता दर्शाता है तो यहां तक कह दिया जाता है कि अब इस कार्य को सम्पन्न होने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी अर्थात यह कार्य बड़ी सरलता और सुगमता से सम्पन्न हो जायेगा। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो अक्सर किसानों के मुख यह बात सुनी होगी कि अगर खेत को बीज डालने से पहले तैयार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि आधा काम हो गया है। (If the ground is prepared the half work is done) थार्नडाईक ने सीखने के सिद्धान्त में तत्परता के नियम की बात की है । इसके अनुसार बालक कोई क्रिया करने के लिये तैयार हो जाता है तो उसको उस क्रिया के करने या फिर सीखने के लिये अधिक समय नहीं लगता है।

तत्परता से अभिप्राय है कि यदि कोई ढंग या विधि प्रतिक्रिया के लिये तैयारी करती है तो इससे सन्तुष्टि प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि कोई विधि प्रतिक्रिया के लिये तैयार नहीं होगी तो इसका परिणाम असन्तोष होता है । यदि किसी व्यक्ति को दिये हुए कार्य में रूचि होती है तो वह उस कार्य को बहुत शीघ्र सीख लेता है। इसके विपरीत रूचि के अभाव में कार्य उसको आकर्षक प्रतीत नहीं होता बल्कि नीरस लगता है और वह उस कार्य को सीख नहीं सकता । उदाहरण के लिये यदि कोई बालक खेल में रूचि नहीं लेता हो तो उसको खेलने के लिये विवश किया जाये तो

Scanned with CamScanner

उसको खेल के प्रति घृणा हो जाती है या फिर हो जो जायेगी। इसी कारण सीखने की प्रक्रिया सीखने वाले की प्रेरणा पर निर्भर करती हैं।

इस प्रकार जब क्षतिग्रस्त विशेश शैक्षिक आवश्कताओं वाले बालकों का सामान्य स्कूल में समावेशन का सवाल उठता है तो स्कूल, शिक्षक, मुख्य शिक्षक और स्कूल से संबंधित अन्य भौतिक एवं मानव संसाधनों की पूरी तन्मयता से इन बालकों को स्वीकार करने की तैयारी का होना अत्यन्त आवश्यक है।

स्कूल कार्य-कलाप स्कूल के पाठयक्रम से अलग न होकर बल्कि पाठयक्रम का अटूट भाग हैं। इस लिये इन्हें पाठय-सहगामी या पाठायन्तर क्रियाएं कहा जाता है । जब यह प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य बालकों की तरह ही इन असमर्थता युक्त बालकों को भी इनमे भाग लेना चाहिये तो इसका उत्तर होगा कि ऐसा करना न तो उचित हैं और न ही संभव है। इन क्षतिग्रस्त बालकों की अलग-अलग क्षेत्रों मे असमर्थता हैं जिससे उनको इन गतिविधियों में सामान्य रूप से भाग लेने में अनेक बाधाएं है। इस लिये यह आवश्यक है कि इन असमर्थता युक्त बालकों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाये जिसमें उनकी असमर्थता किसी भी प्रकार से आड़े न आ सके। उदाहरण के रूप में एक बालक पैर से क्षतिग्रस्त है तो स्वाभाविक है कि वह सामान्य बालकों के साथ दौड़ में भाग नही ले सकता परन्तु स्कूल में कविता पाठ का आयोजन या फिर अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन हो तो उसको भाग लेने में किसी प्रकार से कोई हिचकिचाहट का अनुभव नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसा बालक प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान भी प्राप्त कर ले।

इस लिये स्कूल अधिकारियों, प्राचार्यो, शिक्षकों और अन्य संबंधित लोगों और सामान्य बालकों को चाहिये कि वे इन बालकों पर किसी प्रकार की दया न दिखाकर इनके सहयोगी बने और आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करें।

हमारे लिये यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि पाठयान्तर क्रियाओं से हमारा क्या तात्पर्य है, इनका क्या महत्व है और ये कितने प्रकार की हैं-

2.8.1 पाठय सहगामी (पाठयान्तर) क्रियाओं का अर्थः विभिन्न विषयों के शि- क्षण अधिगम के साथ विद्यालय में बालको के सर्वागीण विकास के लिए जो क्रियाएं कराई जाती है उन्हें पाठयान्तर क्रियायें कहा जाता है। ये क्रियायें अध्ययन के कार्य मे तो

Scanned with CamScanner

सहायक सिद्ध होती ही है, अपितु ये क्रियाएं छात्रों को जीवन की शिक्षा देने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। इन क्रियाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेश ता यह है कि इसमे छात्र की भूमिका सक्रिय होती है।

2.8.2 पाठायान्तर क्रियाओं का महत्वः पाठायान्तर क्रियाओं का पाठयक्रम में उतना ही महत्व है जितना अन्य विशयों का। शिक्षा का लक्ष्य केवल पढ़ना लिखना और गणित की शिक्षा देनी नहीं है अपितु क्रियाओं का स्कूल में उचित प्रबंध हो । वास्तव में जीवन की शिक्षा देने के लिए तो यह पाठायान्तर क्रियाएं पाठयक्रम के अन्य विशयों से भी महत्वपूर्ण हैं।

प्रत्येक स्कूल क्रियाशील स्कूल होना चाहिए। ऐसे ही स्कूल में छात्रों को जीवन की शिक्षा मिल सकती है तथा उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्कताएं पूरी हो सकती हैं और वह जनतन्त्रवाद के लिए ट्रैनिंग ले सकते हैं।

2.8.3 पाठायान्तर क्रियाओं के मुख्य लाभ

पाठायान्तर क्रियाओं के मुख्य लाभ इस प्रकार है-

1. पाठायान्तर क्रियाओं द्वारा छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन होता है।
2. छात्रों में सामाजिक भावना का विकास होता है।
3. छात्रों में सहयोग की भावना विकसित होती है।
4. छात्र अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीखते हैं।
5. विषय-वस्तु को रोचक बनाने, अभ्यास कराने तथा आत्मसात कराने में ये महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
6. नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
7. छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है।
8. छात्रों में वफादारी की भावना आती है।
9. बालकों में स्कूल के प्रति आदर की भावना पनपती है।
10. व्यक्तिगत रूचियों और अभिरूचियों को पनपने के अवसर प्राप्त होते हैं।
11. बालकों में सामूहिक रूप से काम करने की भावना अर्थात टीम भावना का विकास होता है।

Scanned with CamScanner

12. बालक समझने लगते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी उतना ही महत्व है।
13. शारीरिक विकास में सहायता मिलती है।
14. अनुशासन, आत्मनुशासन तथा सामाजिक अनुशासन बड जाता है।
15. व्यावसायिक विकास में सहायता मिलती है।
16. सहपाठीय क्रियाओं द्वारा छात्रों को स्वयं अपने को पूर्ण रूप से जानने के अवसर मिलते हैं।
17. सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है।
18. राष्ट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता के मूल्यों का विकास होता है।
19. स्वशासन में प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

2.8.4 पाठायान्तर क्रियाओं का वर्गीकरण

1. शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं

(1) खेल (2) सामूहिक परेड (3) सामूहिक ड्रिल (4) कुश्ती (5) साईकिल चलाना (6) तैरना (7) नौका चलाना (8) बागवानी (9) सैनिक शिक्षा (एन. सी.सी.) (10) व्यायाम (11) घुड़सवारी (12) लेजियम आदि।

2. साहित्यिक क्रियाएं

(1) वाद-विवाद प्रतियोगिताएं (2) विस्तार भाशण (3) भाशण प्रतियोगिताएं (4) तत्कालीन भाशण प्रतियोगिताएं (5) कहानी लेखन (6) कहानी सुनाना (7) निबंध-लेखन (8) कविता पाठ (9) तात्कालिक प्रश्नौत्तर प्रतियोगिता (10) नाटक (11) साहित्य सभा (12) समाचार पत्र वाचन (13) स्कूल पत्रिका आदि।

3. शैक्षिक क्रियाएं -

(1) विभिन्न विशयों संबंधी परिषदें (2) चार्ट तथा माँडल बनाना।

4. कला संबंधी क्रियाएं -

Scanned with CamScanner

(1) संगीत (2) लोकगीत (3) लोक नृत्य (4) विविध नाटकीय प्रदर्षन (5) ड्राइंग तथा चित्रकला (6) स्कूल सजावट (7) स्कूल प्रदर्षनी (8) मूर्तिकला (9) फैंसी ड्रैस (10) पुष्पोत्सव (11) बैंड बजाना आदि।

5. फुर्सत की गतिविधियाँ -

(1) टिकटें इकटठी करना (2) सिक्के इकटठे करना (3) चित्रों आदि का इकटठा करना (4) एलबम तैयार करना।

6. शिल्प संबंधी क्रियाएं -

(1) कातना (2) बनना (3) कंगना (4) चिकनदोजी (5) सिलाई (6) कपड़ा तैयार करना (7) जिल्द बनाना (8) खिलौने बनाना (9) कार्ड बोर्ड का कार्य (10) साबुन बनाना (11) चमड़े का काम (12) रसोई का काम (13) कढ़ाई करना आदि।

7. अन्य क्रियाएं -

(1) पिकनिक माानना (1) पहाड़ो पर चढ़ना आदि।

8. नागरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं -

(1) स्कूल सहकारी समिति (2) बाल-सभा (3) स्थानीय, राज्यीय तथा केन्द्रीय संस्थाओं में छात्रों को ले जाना जैसे ग्राम-पंचायत, विधानसभा आदि। (4) सामाजिक उत्सवों में भाग लेना (5) राष्ट्रीय उत्सवों में भाग लनो (6) महापुरूषों की जयंतिया मनाना (7) युवा संसद (8) स्कूल उत्सव मनाना (9) जनशिक्षा कार्यक्रमांे में भाग लेना (10) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना आदि।

9. बहुमुखी गतिविधियाँ -

(1) शैक्षिक भ्रमण (2) श्रमदान (3) सहकारी बैंक चलाना (4) बालचर आदि।

10. समाज सेवा संबंधी गतिविधियाँ -

(1) प्रभातफेरी (2) बालचर अथवा गर्ल गाइड (3) पास-पड़ोस में समाज सेवा (4) ग्राम पर्यवेक्षण (5) प्राथमिक चिकित्सा (6) रेडक्रास (7) श्रमदान (8) सामूहिक रूप से खानपान (9) विशेष उत्सवों पर समाज सेवा आदि।

11. राष्ट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता संबंधी क्रियाएं -

Scanned with CamScanner

(1) अपना देश प्रोजेक्ट चलाना (2) सभी धर्मों के महानपुरूषों की जीवनी मानना (2) राष्ट्रीय गीत गाना (4) समूह गान आदि।

वास्तव में पाठायान्तर क्रियाओं को एक विशेष वर्ग में नहीं बाँटा जा सकता।

2.9 स्मरणीय तथ्य

- कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया हैं जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों और अन्त संबंधों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया सम्पादित होती है तथा कला के कार्य तथा क्रियाकलाप से अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है।
- विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए विकलांग कल्याण विभाग द्वारा शैक्षिक एवं रियायते और सुविधायें दी जाती हैं।
- असमर्थता युक्त बालकों को ऐसी गतिविधियां में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायें जिसमे उनकी असमर्थता किसी भी प्रकार से आड़े न आ सकें।

2.10 प्रगति की जाँच

अपनी प्रगति की जाँच करें

(अ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1) समावेशी स्कूल की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है ?

2) क्षतिग्रस्त बालकों की पाठयेतर कियायें क्या-क्या होनी चाहिए ?

3) समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन का क्या महत्व हैं?

4) समावेशी शिक्षा में कौन-2 सी बाधाएं हैं ? उल्लेख कीजिए।

5) समावेशी स्कूल की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? विवेचना कीजिए।

6) एक समावेशी स्कूल की अधोसंरचना कैसी होनी चाहिए।

(ब) सही व गलत का चिन्ह लगाएं-

(1) संसाधन कक्षा में शारीरिक वातावरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(2) असमर्थता युक्त बालकों को पाठ्येत्तर सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेना चाहिए।

(3) समावेशी स्कूल में सामाजिक बाधाओं के साथ-साथ अनेक प्रकार की शैक्षिक बाधाँए नहीं आती है

(4) एक आदर्शसमावेशी स्कूल में दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों की तरह दर्जा दिया जाता है।

2.10 अन्य क्रिया कलाप

किसी एक समावेशी स्कूल का भ्रमण करें तथा भ्रमण के दौरान एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जिससे यह पता लगाया जा सकें कि विद्यालय का संसाधन कक्ष कैसा है तथा वह किस प्रकार संगठित किया गया है ?

2.11 चर्चा/स्पष्टीकरण के बिन्दु

चर्चा के बिन्दु

एक आदर्श समावेशी स्कूल कैसा होना चाहिए ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

2.12 अन्य पठनीय सामग्री

1. **शर्मा योगेन्द्र के. एवं शर्मा मधुलिका (२०१४):** समावेशित शिक्षा, कनिष्का पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

2. **आर्या सतपाल (२०१६):** समावेशी शिक्षा, एस. आर. पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

3. **मादी अंजुम, शर्मा शिल्पी एवं सक्सेना भारती(२०१४):** समावेशी शिक्षा, एस. डी आर. प्रिंटर्स, नई दिल्ली।

Scanned with CamScanner